न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— आर० के० जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :— 11/2019 **RCMS No.2019/00026**

उनवानी प्रकरण

1. राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय——— प्रार्थी ।

बनाम

1. मैसर्स रामकरण शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बसेडी 1/5 भाग तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. विजयवीर पुत्र श्री काशीराम निवासी मई, तहसील बसेडी मालिक पिकअप मैक्स बोलेरो नम्बर आर.जे.11 जीबी 0384 ——————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 955

उपस्थिति : —

1. प्रार्थी की ओर से :— दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से:— श्री विमल शर्मा अभिभाषक ।

निर्णय दिनांक 12.2.2020

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 5.4.2019 को तहसीलदार बसेडी से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशों की पालना में प्रार्थी व समीक्षा दिनकर प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड कार्यालय बसेडी पहुँचे। मौके पर तहसीलदार बसेडी उपस्थित मिले जिन्होनें बताया कि दिनांक 4.4.2019 को उप जिला कलक्टर बसेडी के निर्देशों की पालना में वे अपने स्टाफ के साथ गॉव दिनकटा ग्राम पंचायत द्वौपुरा पहुँचे जहाँ ग्राम दिनकटा के ठाकुर मौहल्ला के रोड पर पिकअप मैक्स आर. जे.—11 जीबी 0384 मिली, जिसमें मोहन पुत्र रामकिशन जाति मीणा निवासी मई तहसील बसेडी ने बताया कि पिकअप में 70 कट्टे गेहूँ के भरे हुए हैं जो राशन डीलर मैसर्स श्री चन्द्र निवासी जटपुरा वितरक दीपक द्वारा गॉव दिनकटा की दुकान से भरकर

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

गॉव बसेडी में विक्रय हेतु ले जाये जा रहे हैं। ड्राईवर मोहन के अनुसार गॉव वासियों द्वारा उसे और उसकी गाडी को रोक लिया मौके पर पुलिस आ गई जो वितरक दीपक को अपने साथ ले गई तथा गेहूँ और गाडी को गॉव दिनकटा में ही छोड गई। तहसीलदार के अनुसार उन्होनें गेहूँ से भरी पिकअप को सुरक्षा की दृष्टि से बसेडी उपखण्ड कार्यालय रखने हेतु रवाना किया । मौके पर उपखण्ड कार्यालय परिसर बसेडी में एक सफेद रंग की मैक्स बोलेरो पिकअप में गेहूँ के भरे हुए कट्टे जिनमें एफ सी आई मार्का मशीन से सिले हुए कुल संख्या 14 तथा कुछ कट्टे प्लाष्टिक के हाथ से सिले हुए जिनकी गिनती करने पर कुल 57 पाये गये । मौके पर गाडी में एक बजन तौलने का कांटा भी पाया गया। मौके पर ही गॉव दिनकटा (द्वौपुरा) में राशन वितरण का कार्य करने वाले उचित मूल्य दुकानदार अप्रार्थी श्री रामकरण शर्मा को बुलाया गया। पूछताछ में अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार ने बताया कि वह मूल रूप से ग्राम पंचायत बसेडी का राशन डीलर है तथा उससे एक अन्य दुकान मृत डीलर श्रीचन्द्र ग्राम पंचायत द्वौपुरा 1/2 भाग भी अटैच कर रखी है। ग्राम पंचायत द्वौपुरा के उक्त भाग में वह दो वितरण केन्द्रों दिनकटा एवं जटपुरा से राशन सामग्री का वितरण करता है क्योंकि दिनकटा एवं जटपुरा की आपस की दूरी 5–6 किलोमीटर होने से ग्रामीणों की मॉग के आधार पर उसने दो वितरण केन्द्र दिनकटा एवं जटपुरा बना रखे हैं। डीलर श्री रामकरण के अनुसार दिनांक 4.4.2019 को उसकी दुकान का कार्यकर्ता श्री दीपक जाटव गॉव दिनकटा से दूसरे वितरण केन्द्र जटपुरा के राशन वितरण के लिए गेहूँ पिकअप में भरकर गॉव जटपुरा ले जा रहा था, जहॉ रास्ते में ग्रामीणों ने उसकी पिकअप को रोक लिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से पूछताछ करने पर कि उसने उक्त दो वितरण केन्द्रों से राशन सामग्री वितरण करने हेतु जिला रसद कार्यालय अथवा उपखण्ड कार्यालय बसेडी से अनुमति ले रखी है। तो अप्रार्थी ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया ओर न ही मौके पर कोई कागजात ही प्रस्तुत किये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 व 11 का उल्लघंन किये जाने पर उपखण्ड कार्यालय बसेडी में रखी पिकअप आर जे.11 जीबी 0384 तथा पिकअप में रखे गेहूँ कुल बजन 36.3 क्विटंल मय बारदाना को राजसात किया गया है तथा सुरक्षित संभालने हेतु श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामसिंह शर्मा व्यवस्थापक जी.एस.एस. बसेडी को कुल 36.3 क्विटंल गेहूँ मय बारदाना सुपुर्दगी में दिया गया तथा पिकअप को श्री महेन्द्र सिंह हाल कांस्टेबिल थाना बसेडी नम्बर 385 की सुपुर्दगी में दिया गया । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा माल 36.3 क्विंटल गेहूँ एवं पिकअप मैक्स नम्बर आर.जे.11 जीबी 0384 को राजसात किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि अप्रार्थीगण को इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी (आपत्ति) हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री विमल शर्मा अभिभाषक ने वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 5.4.2019 को तहसीलदार बसेडी से दूरभाष पर कोई वार्ता नहीं हुई एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा दूरभाष पर कोई निर्देश नहीं दिये गये और ना ही किसी निर्देशों की पालना ही की गई एवम् समीक्षा दिनकर प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड कार्यालय बसेडी पर नहीं पहुँची और ना ही मौके कोई कार्यवाही की और ना ही तहसीलदार बसेडी के किसी दूरभाष पर कोई निर्देश प्राप्त हुये और ना ही वह अपने स्टाफ के साथ गॉव दिनकटा पहुँचे और ना वहॉ कोई मैक्स मिली। पिकअप में 70 क्विंटल गेहूँ के भरे हुये जो राशन डीलर मैसर्स श्री चन्द्र निवासी जटपुरा वितरक दीपक द्वारा गॉव दिनकटा की दुकान से भरकर नहीं ले जा रहा था यह मनगढन्त वाक्या है। ड्राईवर मोहन के अनुसार गॉवासियों द्वारा उसे रोकने वाली बात झूँठी लिखी है। मौके पर कोई पुलिस नहीं आई। प्रकरण सम्पूर्ण झूँठा तैयार किया गया है। प्रकरण में 14 कटट्े वाली बात झूठी लिखी फिर पुनः 57 कटट्े वाली बात गलत लिखी है यह बात सही है कि ग्राम पंचायत बसेडी का राशन डीलर है, उससे एक अन्य दुकान मृत डीलर श्रीचन्द्र ग्राम पंचायत द्वौपुरा 1/2 भाग भी अटैच जनवरी 2019 से कर रखी है। ग्राम पंचायत द्वौपुरा के उक्त भाग में वह दो वितरण केन्द्रों दिनकटा एवं जटपुरा से राशन सामग्री का वितरण करता है क्योंकि दिनकटा एवं जटपुरा की आपस की दूरी 5–6 किलोमीटर होने से ग्रामीणों की मॉग के आधार पर उसने दो वितरण केन्द्र दिनकटा एवं जटपुरा बना रखे है। अप्रार्थी वितरण केन्द्र जटपुरा के राशन वितरण के लिये जा रहा था इस सम्बन्ध में एफ पी एस डीलर अप्रार्थी से पूछताछ करने पर उसने दो वितरण केन्द्रो से राशन सामग्री वितरण करने हेतु जिला रसद कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालय बसेडी से अनुमति ले रखी है। इस प्रकार का कोई कथन नहीं किया ना ही कोई पूछताछ की गई। इसलिये अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई कानूनी उल्लंघन नहीं किया है तथा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही झूठी एवं मनगढन्त है। अप्रार्थी ने गॉव वालों की मॉग के आधार पर दिनकटा एवं जटपुरा में वितरण राशन किया था। इस जबाव के साथ गॉव वालों की सहमति के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। अतः अप्रार्थी का जबाव स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा माल वापिस दिलाया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फर्द मौका जब्ती दिनांक 5.4.2019 की प्रतिलिपि, फर्द मौका दिनांक 4.4.2019 की प्रतिलिपि, फर्द सुपुर्दगीनामा दिनांक 5.4.2019 की प्रतिलिपि, निरीक्षण मौका फर्द दिनांक 5.4.2019 की प्रतिलिपि, मौका बयान विजयवीर पुत्र काशीराम की प्रतिलिपि, फर्द तौल पटट्ी दिनांक 5.4.2019 की प्रतिलिपि, पेश की।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने अपने जबाव के समर्थन में श्री विजयपाल सिहं, श्री सुरेशचन्द्र गर्ग, मुकेश कुमार, प्रेमदास, रामजीलाल, धारा, शिवराम, प्रेम, राजन्ती, के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् निर्णय से पूर्व प्रवर्तन निरीक्षक को अप्रार्थी संख्या 1 के भण्डार/वितरण पंजिका सहित बुलाया जाने के आदेश दिये।

प्रार्थी ने प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 25.11.2019 प्रस्तुत की जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के ओदश कमांक:एफ13(49)खावि/आवंटन/2015-11 दिनांक 5.8.2016 द्वारा रजिस्ट्रर द्वारा राशन सामग्री वितरण के स्थान पर पाश मशीन द्वारा कार्य करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। राज्य में गैर नगद लाभ के रूप में पॉश मशीनों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा हे। सितम्बर 2016 से रजिस्ट्रर के माध्यम से एनएफएसए पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण न किया जाकर पॉश मशीन पर उपलब्ध कराये गये नये प्रावधानों से ही वितरण करने के आदेश प्रदान किये गये है। विभाग के परिपत्र दिनांक 15.12.2015 के अनुसार राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य संस्थाओं के गोदामों से खाद्यान्नों का उठाव एवं परिवहन कर उचित मूल्य दुकानों को डेार स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 4.4.2019 को उप जिला कलक्टर बसेडी के निर्देशों की पालना में तहसीलदार बसेडी गॉव दिनकटा ग्राम पंचायत द्वौपुरा पहुँचे जहॉ रोड पर पिकअप मैक्स आर. जे.-11 जीबी 0384 मिली, जिसमें 70 कट्टे गेहूँ के भरे हुए हैं जो राशन डीलर मैसर्स श्री चन्द्र निवासी जटपुरा वितरक दीपक द्वारा गॉव दिनकटा की दुकान से भरकर गॉव बसेडी में विकय हेतु ले जाये जा रहे थे। मौके पर पुलिस आ गई जो वितरक दीपक को अपने साथ ले गई तथा गेहूँ और गाडी को गॉव दिनकटा में ही छोड गई। तहसीलदार के अनुसार उन्होनें गेहूँ से भरी पिकअप को सुरक्षा की दृष्टि से बसेडी उपखण्ड कार्यालय खडा करा दिया । मैक्स बोलेरो पिकअप में गेहूँ के भरे हुए 70 कट्टे मिले जिसमें से 14 कट्टे एफ सी आई मार्का मशीन से सिले हुए कुछ कट्टे प्लास्टिक के हाथ से सिले हुए जिनकी गिनती करने पर कुल 57 पाये गये। अप्रार्थी बिना पूर्व अनुमति से दिनांक 4.4.2019 को गॉव दिनकटा से दूसरे वितरण केन्द्र जटपुरा के राशन वितरण के लिए गेहूँ पिकअप में भरकर गॉव जटपुरा ले जा रहा था, अप्रार्थी संख्या 1 से पूछा गया कि उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरण करने हेतु पूर्व में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली है तो उसने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया ओर न ही मौके पर कोई कागजात ही प्रस्तुत किये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 व 11 का उल्लघंन किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के ओदश कमांक:एफ13(49)खावि/आवंटन/2015-11 दिनांक 5.

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

8.2016 द्वारा रजिस्ट्रर द्वारा राशन सामग्री वितरण के स्थान पर पॉश मशीन द्वारा कार्य करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। राज्य में गैर नगद लाभ के रूप में पाश मशीनों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा हे। सितम्बर 2016 से रजिस्ट्रर के माध्यम से एन एफएसए पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण न किया जाकर पॉश मशीन पर उपलब्ध कराये गये नये प्रावधानों से ही वितरण करने के आदेश प्रदान किये गये है। विभाग के परिपत्र दिनांक 15.12.2015 के अनुसार राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य संस्थाओं के गोदामों से खाद्यान्नों का उठाव एवं परिवहन कर उचित मूल्य दुकानों को डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है। दिनांक 5.4.2019 को ही जॉच करने पर उचित मूल्य दुकान का वितरण केन्द्र ग्राम जटपुरा होना तथा भैतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान में लगभग 39 क्विंटल गेहूँ कम होना पाया गया जिसे स्वयं उचित मूल्य दुकानदार अप्रार्थी ने स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 216/90 में उक्त उचित मूल्य दुकान का वितरण केन्द्र ग्राम जटपुरा होना पाया जबकि अप्रार्थी द्वारा ग्राम दिनकटा में राशन सामग्री का वितरण करना स्वयं अप्रार्थी द्वारा वितरण न कर किसी अन्य अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उचित मूल्य दुकान का संचालन करवाना, गेहूँ की डोर स्टेप डिलीवरी होने के बावजूद अन्य अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा खाद्यान्न का अप्राधिकृत स्थल पर भण्डारण वितरण एवं परिवहन करना उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 व 11 का स्पष्ट उल्लघंन प्रमाणित होता है। खाद्यान्न थोक विक्रेता द्वारा माह अप्रैल 2019 हेतु एफपीएस कोड 18417 राशन डीलर अप्रार्थी अटेच को चालान संख्या सी.एच.डब्लू.ओ. 01652433 के द्वारा कुल 115.65 क्विंटल गेहूँ की डोर स्टेप डिलीवरी किया जाना पाया । माह अप्रैल 19 का प्रारम्भिक स्टॉक 24.53 क्विंटल इस प्रकार 140.18 क्विंटल दर्ज होना पाया । वक्त निरीक्षण लगभग 39 क्विटल गेहूँ कम पाया गया । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में जब्तशुदा 36.3 क्विटंल गेहूँ मय बारदाने के राजसात किया जावे ।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जबाव में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 5.4.2019 को प्रार्थी की तहसीलदार बसेडी से दूरभाष पर कोई बार्ता नहीं हुई। ना ही जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दूरभाष पर कोई निर्देश नहीं दिये गये । प्रार्थी का यह कहना गलत है उसके साथ समीक्षा दिनकर प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड कार्यालय बसेडी पर गई थी । और ना ही मौके पर कोई कार्यवाही की । प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि तहसीलदार बसेडी अपने स्टाफ के साथ गॉव दिनकटा पहुँचे तथा उन्हें वहाँ पर कोई मैक्स पिकअप वाहन मिला । पिकअप में 70 क्विंटल गेहूँ भर कर राशन डीलर मैसर्स श्री चन्द्र निवासी जटपुरा का वितरक दीपक गॉव दिनकटा की दुकान से भरकर नहीं ले जा रहा था यह मनगढन्त वाक्या है। वाहन चालक मोहन के अनुसार गॉववासियों द्वारा उसे रोकने वाली बात झूठी लिखी है। यह तथ्य भी गलत

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

है कि मौके पर पुलिस पहुँच गई थी । यह बात सही है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत बसेडी का राशन डीलर है उससे एक अन्य दुकान मृत डीलर श्रीचन्द्र ग्राम पंचायत द्वौपुरा 1/2 भाग भी अटैच है। ग्राम पंचायत द्वौपुरा के उक्त भाग में वह दो वितरण केन्द्रों दिनकटा एवं जटपुरा से राशन सामग्री का वितरण करता है क्योंकि दिनकटा एवं जटपुरा की आपस की दूरी 5–6 किलोमीटर होने से ग्रामीणों की माँग के आधार पर उसने दो वितरण केन्द्र दिनकटा एवं जटपुरा बना रखे है। अप्रार्थी प्रकरण में जब्तशुदा गेहूँ को वितरण केन्द्र जटपुरा के राशन वितरण के लिये जा रहा था । अप्रार्थी ने दो वितरण केन्द्रो से राशन सामग्री वितरण करने हेतु जिला रसद कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालय बसेडी से अनुमति ले रखी है या नहीं इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से कोई पूछताछ नहीं की गई। अप्रार्थी ने प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही झूठी एवं मनगढन्त है। अप्रार्थी ने गॉव वालों की मॉग के आधार पर दिनकटा एवं जटपुरा में वितरण राशन किया था। इस सम्बन्ध में गॉव वासियों के सहमति के शपथ पत्र भी दिये है। अतः अप्रार्थी का जबाव स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा माल वापिस दिलाया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी बिना पूर्व अनुमति से दिनांक 4.4.2019 को गॉव दिनकटा से दूसरे वितरण केन्द्र जटपुरा पर राशन वितरण के लिए गेहूँ पिकअप में भरकर गॉव जटपुरा ले जा रहा था, इस तथ्य को अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाव व बहस में स्वीकार किया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 व 11 का उल्लघंन किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के ओदश कमांकःएफ13(49)खावि/आवंटन/2015–11 दिनांक 5.8.2016 द्वारा रजिस्ट्रर द्वारा राशन सामग्री वितरण के स्थान पर पॉश मशीन द्वारा कार्य करने हेतु निर्देश जारी किये गये है। राज्य में गैर नगद लाभ के रूप में पॉश मशीनों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा हे। सितम्बर 2016 से रजिस्ट्रर के माध्यम से एन एफएसए पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण न किया जाकर पॉश मशीन पर उपलब्ध कराये गये नये प्रावधानों से ही वितरण करने के आदेश प्रदान किये गये है। विभाग के परिपत्र दिनांक 15.12.2015 के अनुसार राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य संस्थाओं के गोदामों से खाद्यान्नों का उठाव एवं परिवहन कर उचित मूल्य दुकानों को डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है। दिनांक 5.4.2019 उचित मूल्य दुकान का भैतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान में लगभग 39 क्विंटल गेहूँ कम होना पाया गया, जिसे स्वयं उचित मूल्य दुकानदार अप्रार्थी ने स्वीकार कर फर्द मौका व फर्द जब्ती पर अपने हस्ताक्षर किये हैं। यह तथ्य सही है कि अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 216/90 में उक्त उचित मूल्य दुकान का वितरण केन्द्र ग्राम

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जटपुरा होना पाया जबकि अप्रार्थी द्वारा ग्राम दिनकटा में राशन सामग्री का वितरण करना स्वीकार किया है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं वितरण न कर किसी अन्य अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उचित मूल्य दुकान का संचालन करवाना प्राधिकार पत्र में दी गई शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन है। विभाग द्वारा गेहूँ की डोर स्टेप डिलीवरी होने के बावजूद अन्य अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा खाद्यान्न का अप्राधिकृत स्थल पर भण्डारण वितरण एवं परिवहन करना उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1 व 11 का स्पष्ट उल्लघंन है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के इस कथन से हम सहमत हैं कि खाद्यान्न थोक विक्रेता द्वारा माह अप्रैल 2019 हेतु एफपीएस कोड 18417 राशन डीलर अप्रार्थी अटेच को चालान संख्या सी.एच.डब्लू.ओ. 01652433 के द्वारा कुल 115.65 क्विंटल गेहूँ की डोर स्टेप डिलीवरी की गई। माह अप्रैल 19 का प्रारम्भिक स्टॉक 24.53 क्विंटल इस प्रकार 140.18 क्विंटल दर्ज होना पाया । वक्त निरीक्षण लगभग 39 क्विटल गेहूँ कम पाया गया । अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि दिनांक 5.4.2019 को प्रार्थी की तहसीलदार बसेडी से दूरभाष पर कोई बार्ता नहीं हुई, ना ही जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दूरभाष पर कोई निर्देश नहीं दिये गये। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन भी सिद्ध नहीं होता कि प्रार्थी के साथ समीक्षा दिनकर प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड कार्यालय बसेडी पर नहीं पहुँची थी । विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत बसेडी का राशन डीलर है उससे एक अन्य दुकान मृत डीलर श्रीचन्द्र ग्राम पंचायत द्वौपुरा 1/2 भाग भी अटैच है तथा अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वौपुरा के उक्त भाग में वह दो वितरण केन्द्रों दिनकटा एवं जटपुरा से राशन सामग्री का वितरण करता है । अप्रार्थी प्रकरण में जब्तशुदा गेहूँ को वितरण केन्द्र जटपुरा के राशन वितरण के लिये जा रहा था । अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अप्रार्थी ने दो वितरण केन्द्रो से राशन सामग्री वितरण करने हेतु जिला रसद कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालय बसेडी से अनुमति ले रखी है सिद्ध नहीं होता क्योंकि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये । अप्रार्थी द्वारा गॉव वासियों के सहमति के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं वह दिनांक 2.9.2019 को शपथ आयुक्त द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि प्रार्थी द्वारा प्रकरण दिनांक 9.4.2019 को पूर्व में भी प्रस्तुत कर दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के द्वारा शपथ पत्र कूटरचित नीति के तहत तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में जप्तशुदा माल गैंहूँ वजनी 36.3 क्विंटल मय वारदाना को राजसात किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा माल 36.3 क्विंटल गेहूँ मय वारदाना को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह जप्तशुदा माल सुपुर्दगार से वापिस प्राप्त कर अन्य किसी उचित मूल्य दुकानदार से सार्वजनिक

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

वितरण प्रणाली के तहत नियन्त्रित मूल्य पर विक्रय कराकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें। तथा जप्तशुदा माल के बराबर माल उसके मासिक कोटे में से कम कर दिया जावे। निर्णय की प्रतिलिपि जिला रसद अधिकारी धौलपुर को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(आर. के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)